भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1103

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष का आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकरण

1103. श्री विजय कुमार दूबे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुष को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत करने और आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों और औषधियों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की तर्ज पर देश के प्रत्येक जिले में आयुष अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है/कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय, आयुष चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने तथा आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक पहलें कर रहा है :

i. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीपीएचएस) के अंतर्गत आयुष वर्टिकल, आयुष-विशिष्ट जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु एक समर्पित संस्थागत प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह वर्टिकल जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु रणनीति विकसित करने में, दोनों मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ii. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों में संयुक्त रूप से एकीकृत आयुष विभाग स्थापित किए हैं। इस पहल के तहत, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है और यह कार्यशील है।

iii. नीति आयोग के माननीय सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य मौजूदा ज्ञान तथा एकीकृत चिकित्सा के विभिन्न मॉडलों की प्रभावकारिता एवं इसके व्यापक लाभों का अध्ययन करना और व्यापक एकीकृत स्वास्थ्य नीति की रूपरेखा प्रस्तावित करना था।

iv. भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं को सह-स्थापित करने की कार्यनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत साझा ज़िम्मेदारियों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

v. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के लिए एमबीबीएस हेतु आयुष मॉड्यूल- इंटर्नशिप ऐच्छिक विकसित किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022 के विनियम 10(7) के अनुसार, आयुर्वेद शिक्षण सामग्री के पाठ्यक्रम में आधुनिक नवाचारों का अनुपात 40 प्रतिशत तक होगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के अंतर्गत होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न नई पहल की हैं, जैसे प्रारंभिक नैदानिक अनुभव, ऐच्छिक विषयों की शुरुआत, संकाय विकास कार्यक्रम, फाउंडेशन कार्यक्रम, इंटर्नशिप के अंत में समापन कार्यक्रम, औषध विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे नए विषयों को शामिल करना ताकि छात्रों को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूक किया जा सके।

vi. आयुष को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान

परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई पहलों का विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है।

viii. आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति के संवर्धन और लोकप्रिय बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामतः आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) संवर्धन, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) संवर्धन, औषधीय पादप संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु योजना (सीडीएसएमएमपी), आयुर्स्वास्थ्य योजना और आयुर्ज्ञान को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान और अनुसंधान परिषदें आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के समन्वय, निरूपण, विकास, संवर्धन और लोकप्रिय बनाने में कार्यरत हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत दो वैधानिक निकाय, अर्थात् भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियामक आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयुष चिकित्सा पद्धति का डिजिटल रूप से प्रचार भी कर रहा है।

(ख): आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं सोवा-रिग्पा चिकित्सकों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने एनसीआईएसएम (नैतिकता एवं पंजीकरण) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। उक्त विनियमन में, अध्याय III के तहत, चिकित्सकों के अधिकार और विशेषाधिकार निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, अध्याय IV के तहत पेशेवर आचार, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) राज्य होम्योपैथी परिषदों/बोर्डों के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार और आचार संहिता) विनियम, 2022 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से देश भर में मानकीकृत होम्योपैथी प्रथाओं के माध्यम से होम्योपैथी चिकित्सकों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करता है। आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थान आयुष चिकित्सकों और छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए एनसीआईएसएम और एनसीएच द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं।

आयुष मंत्रालय ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएमएस) (आयुष) और आयुष अस्पतालों के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) लाँच किया है। यह अवसंरचना, मानव संसाधन, उपकरण, दवाओं और सेवाओं के लिए एक समान मानकों का समूह है। ये मानक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर और उच्च गुणवत्ता वाली आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू) औषधियों से संबंधित प्रावधान, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV-क और अनुसूची-झ में तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 169, अनुसूची-ङ(I), न एवं न-क में निहित हैं। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची (4क) में होम्योपैथिक औषधियों के मानकों के प्रावधान हैं और औषधि नियम, 1945 के नियम 2-घघ, 30-कक, 67 (ग-ज), 85 (क से ठ), 106-क, अनुसूची-ट, अनुसूची ड-I, होम्योपैथी औषधियों से संबंधित हैं। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न तथा अनुसूची-ड-I में यथाविहित उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिताओं में दी गई औषधियों के गुणवत्ता मानकों के अनुसार सुरक्षा तथा प्रभावशीलता के प्रमाण सहित विनिर्माण इकाइयों और औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

आयुष मंत्रालय की ओर से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), एएसयूएंडएच औषधियों के लिए फार्मूलेरी विनिर्देश और फार्माकोपियल मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियम, 1945 के अनुसार, इसमें शामिल एएसयूएंडएच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और क्षमता) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में कार्य करते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार, भारत में विनिर्मित एएसयूएंडएच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।

आयुष मंत्रालय ने स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 16.03.2021 को अनुमोदित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना एओजीयूएसवाई लागू की है। इस योजना के लिए पाँच वर्षों के लिए कुल बजट आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नलिखित हैं:

i. उच्चतर मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
ii. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता।

iii. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे को मजबूत करना।

iv. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य प्रासांगिक वैज्ञानिक संस्थानों तथा औद्योगिक आरएंडडी केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों और मान्यता/प्रमाणन के विकास के लिए समर्थन।

(ग) और (घ): चूँकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए देश में आयुष अस्पतालों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। हालाँकि, आयुष मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान परिषदों के माध्यम से आयुष शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

*****

संलग्नक

आयुष मंत्रालय द्वारा अपनी अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से की गई पहलों का विवरण

क्र.सं.	अनुसंधान परिषद/राष्ट्रीय संस्थान	संस्थान की पहलों का विवरण
1.	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने ऑस्टियोआर्थराइटिस (घुटने) के प्रबंधन के लिए एक तृतीयक देखभाल अस्पताल (सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली) में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकृत करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए परिचालन अध्ययन, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) स्तर पर राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) को शुरू करने की व्यवहार्यता और राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) में आयुष पद्धतियों का एकीकरण और महाराष्ट्र के चयनित जिले (गढ़चिरौली) के पीएचसी में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) में आयुर्वेद उपचार शुरू करने की व्यवहार्यता जैसे शोध अध्ययन (प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर प्रसवपूर्व देखभाल उपचार (गर्भिणी परिचर्या) पर एक बहु केंद्र परिचालन अध्ययन) किए हैं। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और सीसीआरएएस ने आईसीएमआर की एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम के तहत एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहचाने गए क्षेत्रों पर अनुसंधान करने के लिए एम्स में आयुष-आईसीएमआर एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च (एआई-एसीआईएचआर) स्थापित करने की पहल की है।
2.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) ने डॉ. आरएमएल अस्पताल, डॉ. डीडीयू अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और जेजे अस्पताल, मुंबई में चार पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं। यूनानी चिकित्सा को एकीकृत और बढ़ावा देने के लिए परिषद ने आधुनिक शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएँ भी शुरू की हैं।
3.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग और सहकारिता के साथ अनुसंधान करके होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। परिषद ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली, दिल्ली छावनी जनरल अस्पताल, नई दिल्ली, बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, सिविल अस्पताल, आइज़ोल, मिजोरम और जिला अस्पताल, दीमापुर, नागालैंड में विभिन्न नैदानिक स्थितियों पर उपचार प्रदान करने के लिए एलोपैथिक अस्पताल में होम्योपैथी उपचार केंद्र की सह-स्थापना की है। परिषद ने होम्योपैथी में एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम का एकीकरण, स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी), 'स्वस्थ दांत निकलने के लिए होम्योपैथी' कार्यक्रम, 'स्वस्थ बच्चे के लिए होम्योपैथी' और अनुसूचित जाति घटक योजना (एससी घटक योजना) का एक घटक जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को शुरू करके होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य

		सेवा व्यवस्था से जोड़ने की पहल भी की है।
4.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने आधुनिक उपचारों के साथ-साथ आयुष उपचारों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रमाणित करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों को प्रोत्साहित करके सिद्ध प्रथाओं को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत करने की पहल की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर और सफदरजंग अस्पताल में सिद्ध कैंसर ओपीडी, सीसीआरएस के अंतर्गत सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई, सफदरजंग, नई दिल्ली द्वारा सिद्ध पद्धति के माध्यम से कैंसर रोगियों की उपशामक देखभाल में सहायता प्रदान करते हुए, एकीकृत सिद्ध कैंसर ओपीडी कार्यशील है। सीसीआरएस ने कैंसर प्रबंधन, प्रजनन एवं शिशु देखभाल और पुनर्योजी चिकित्सा के लिए सहयोगी अनुसंधान गतिविधियाँ शुरू करने हेतु एम्स, ऋषिकेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
5.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) देश भर में हृदय गति रुकने पर बहु-केन्द्रित अध्ययन परियोजना पर आईसीएमआर टास्क फोर्स का एक हिस्सा है।
6.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए)	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली में, एकीकृत आयुष चिकित्सा केंद्र (यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी), एकीकृत कैंसर चिकित्सा केंद्र, एकीकृत दंत चिकित्सा केंद्र, एकीकृत क्रिटिकल केयर और आपातकालीन चिकित्सा केंद्र, एकीकृत अस्थि रोग केंद्र, एकीकृत आहार विज्ञान और पोषण केंद्र और दुर्घटना ओपीडी अनुभाग के तहत एकीकृत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा सेवा इकाई, एम्स झज्जर में एकीकृत चिकित्सा सेवा इकाई और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान-एम्स, झज्जर में एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र में स्थापित सैटेलाइट नैदानिक सेवा इकाइयों के माध्यम से भी एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, एआईआईए और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर-आईसीएमआर) के संयुक्त उद्यम के रूप में, एआईआईए, नई दिल्ली में एक एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र (सीआईओ) की स्थापना की गई है। आयुष जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी (एजेआईओ) का प्रकाशन एआईआईए स्थित एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र (सीआईओ) से किया जा रहा है। इस संस्थान में आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र भी है।
7.	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए)	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकृत अनुसंधान करता है।
8.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस)	सिद्ध चिकित्सा पद्धति में एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देने और चेट्टीनाड अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान (सीएचआरआई) में आने वाले रोगियों को सिद्ध उपचार प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) ने चेट्टीनाड अनुसंधान शिक्षा अकादमी (सीएआरई) के साथ मिलकर केलमबक्कम में एक उन्नत सिद्ध विशेषज्ञ ओपीडी का उद्घाटन किया। एनआईएस, कर्नाटक के मणिपाल स्थित मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई) के एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में एक विशेषज्ञ एकीकृत पारंपरिक सिद्ध चिकित्सा ओपीडी (एसआईएसएमओ) का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, एनआईएस ने कैंसर रोगियों को एकीकृत उपचार प्रदान करने के लिए एक सिद्ध एकीकृत कैंसर देखभाल केंद्र (एस-आईसी केयर सेंटर) आरंभ किया है।